Journal Global Values, Vol. XV, No. Special Issue 2024, ISSN: (P) 0976-9447, (e) 2454-8391, Impact Factor 8.888(SJIF)
https://doi.org/10.31995/jgv.2024.v15iS1.012

बौद्ध धर्म में महिला–पुरूष समानताः मिथ्या या वास्तविकता

डॉ0 मंजु चौधरी
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
आर0बी0डी0 महिला महाविद्यालय
बिजनौर

सारांशः

प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय भारतीय समाज में परिवर्तनवादी सोच को प्रदर्शित करता है। इस सोच का सम्बन्ध उन समस्त बातों से था जिन प्राचीन भारतीय समाज का शोषण हो रहा है। शोषण की इन प्रवृत्तियों अस्पृश्यता, कर्मकाण्ड, सामाजिक असामनता और स्त्रियों की हीन अवस्था (दुर्दशा) जैसी बातों में देखा जा सकता है। प्रस्तुत आलेख बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और सोच का समीक्षात्मक प्रयास प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्दरू

बौद्ध धर्म, अस्पृश्यता, कर्मकाण्ड, सम्मानजनक, सकारात्मक, क्रांतिकारी

Reference to this paper should be made as follows:

डॉ0 मंजु चौधरी

बौद्ध धर्म में महिला–पुरूष समानताः मिथ्या या वास्तविकता

Vol. XV, Sp. Issue
Article No. 12,
pp. 085-094

Online available at https://anubooks.com/journal/journal-global-values

DOI: https://doi.org/10.31995/jgv.2024.v15iS1.012

डा मजुं चौधरी

प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय भारतीय समाज में परिवर्तनवादी सोच को प्रदर्शित करता है इस सोच का सम्बन्ध उन समस्त बातों से था जिनसे प्राचीन भारतीय समाज का शोषण हो रहा था। शोषण की इन प्रवृत्तियों को अस्पृश्यता, कर्मकाण्ड, सामाजिक असमानता और स्त्रियों की हीन अवस्था (दुर्दशा) जैसी बातों में देखा जा सकता है। प्रस्तुत आलेख बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और सोच का समीक्षात्मक प्रयास प्रस्तुत करता है। यह प्रयास निम्न समस्याओं और परिस्थितियों पर केन्द्रित है– जिस समय भारतीय समाज में बुद्ध का प्रार्दुभाव हुआ, उस समय समाज में पितृसत्तात्मक तत्व व्यापक पैमाने पर विद्यमान थे। उस समय लड़की का जन्म दुःख का कारण माना जाता था[1] तथा स्त्रियों को जुए और शतरंज के साथ तीन प्रमुख बुराइयों के रूप में माना जाता था।[2] उस समय ऐसी महिला को आदर्श पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता था जो पत्ति को देवता के रूप में स्वीकार करती थी (पति देवता)[3] और उसके चरणों में गिरकर (पादपरिचारिका)[4] स्वयं को भाग्यवान मानती थी। उस समय महिलाओं को वस्तुओं की तरह बेचा भी जाता था।[5] ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बौद्ध धर्म और दृष्टिकोण पर उपरोक्त ब्राम्हणवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था और यदि प्रभाव पड़ा भी तो इसके क्या परिणाम सामने आये।

ऐसा प्रतीत होता है प्रारम्भ में बुद्ध, बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के प्रति उदासीन थे। इनकी विमाता महाप्रजापति गौतमी ने कपिलवस्तु में आकर एक भिक्षुणी के रूप में बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति बुद्ध से माँगी तो बुद्ध ने इस माँग को अस्वीकार कर दिया।[6] लेकिन कालान्तर में उन्हें अपने इस नियम में संशोधन करना पड़ा। वैशाली में जब बुद्ध रूके थे, तो महाप्रजापति गौतमी ने पुरूष वेष धारण करके, अपने साथ अनेक शाक्य स्त्रियों को लेकर रोती हुई, भगवान बुद्ध से संघ में प्रवेश की अनुमति माँगी। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द की सिफारिश पर, उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति तो दी, पर साथ ही आठ ऐसे कठोर प्रतिबंध भी आरोपित कर दिये जिससे स्त्रियों का संघ जीवन काफी कष्टदायक हो गया और उनका स्थान भी निम्नतम हो गया। इन आठ नियमों में एक यह भी था कि–''सौ वर्ष की भिक्षुणी को पहले भिक्षु की अभ्यर्थना'' करनी पड़ती थी, उसके सम्मुख आसन रिक्त करके खड़ा हो जाना पड़ता था, और करबद्ध प्रार्थना करनी पड़ती थी, चाहे भिक्षु केवल एक दिन का ही दीक्षित क्यों न हुआ हो।[7] पुनः भिक्षुणियाँ, भिक्षुओं के पास जाकर वार्तालाप नही कर सकती थीं।[8] ये सभी दृष्टांत हमारे समक्ष कई प्रश्न उत्पन्न कर देते हैं।

महिलाओं के प्रति भगवान बुद्ध का यह वक्तव्य भी कई भ्रान्तियों को जन्म देता हैः उन्होंने अपने शिष्य आनन्द से कहा ''पर अब जब स्त्रियों का संघ में प्रवेश हो गया है, आनन्द! धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा। जिस प्रकार ऐसे घरों में जिनमें अधिक स्त्रियाँ और कम पुरूष होते हैं, चोरी विशेष रूप से होती है, कुछ इसी प्रकार की अवस्था उस सूत्र और विनय की समझनी चाहिए जिसमें स्त्रियाँ घर का परित्याग करके गृह विहीन जीवन में प्रवेश करने लग जाती हैं। धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा ..... फिर भी आनन्द! मनुष्य जैसे भविष्य को छोड़कर

जलाशय के लिए बाँध बनवा देता है, जिससे जल बाहर न बहने लगे, उसी प्रकार आनन्द भावी (भविष्य) के लिए मैंने आठ नियम बना दिये है, जिनका पतन भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य है, जब तक धर्म है, उन नियमों के पालन में प्रमाद नहीं होना चाहिए।''[9]

बुद्ध के प्रिय शिष्य आनन्द बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के प्रबल समर्थक थे। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित तथ्यों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध ने आनन्द के कहने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश को स्वीकार किया। लेकिन ऐसा लगता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आनन्द, संघ में महिलाओं के प्रवेश देने के मुद्दे पर अलग–थलग पड़ गये। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में आनन्द की सिर्फ इसलिए आलोचना की गई कि उन्होंने संघ में स्त्रियों के प्रवेश का समर्थन किया था। इस प्रसंग से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि–अधिकांश बौद्ध, संघ में स्त्रियों के प्रवेश और उन्हें समान दर्जा दिए जाने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यें बातें बौद्ध धर्म में पुरुषवादी दृष्टिकोण को ही प्रदर्शित करती है। बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी यशोधरा का परित्याग करना भी एक विचारणीय प्रश्न है।

बुद्ध का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक, सकारात्मक और क्रांतिकारी था। बुद्ध ने महिलाओं को ज्ञानी, मातृत्वशील, सृजनात्मक, भद्र और सहिष्णु के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना करके महिलाओं की मुक्ति के लिए नये मार्गों को खोला। महिलाओं के लिए यह सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति आलोच्य अवधि में समय से काफी आगे और क्रांतिकारी थी। बहुत सी महिलाओं ने बुद्ध के इस दृष्टिकोण का लाभ उठाया। बुद्ध की शिष्याओं में कुछ साधारण शिष्याएँ ही बनी रहीं तो कुछ भिक्षुणी बनी तथा उन्होंने सांसारिक मोहमाया का परित्याग कर दिया। बुद्ध ने पुरुषों और महिलाओं को एक एकीकृत व्यक्तित्व को पूरक पहलुओं के तौर पर करूणा और बुद्धि के रूप में देखा था। बुद्ध और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का दृष्टिकोण यह था कि महिलायें अर्हत् बन सकती है। कालान्तर में कई महिलाओं ने अर्हत् का पद प्राप्त भी किया। त्रिपिटक जिसकी रचना तीसरी बौद्ध संगति (पाटलीपुत्र) में की गई, में कई ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अर्हत् का पद प्राप्त किया। उदाहरण के लिए मगध के राजा की पत्नी क्षेमा (खेमा) जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के पहले ही पूर्णतः बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया था। खेमा को बौद्ध धर्म के प्रति काफी गहरा ज्ञान था। यही कारण था कि बुद्ध इनके प्रति उच्च श्रद्धाभाव रखते थे। इसी प्रकार सोणा और पाटचारा जैसी महिलायें बौद्ध धर्म के संबंध में की जाने वाली प्रवचन के लिए जानी जाती थी। कुछ भिक्षुणियों का अपना शिष्य समुदाय भी था। ये भिक्षुणियाँ न केवल धार्मिक प्रवचन करती थीं बल्कि वे बुद्ध या अन्य ज्ञानी भिक्षुओं के बिना भी अपने अनुचरों को सम्पूर्ण मुक्ति तक पहुँचाने का सामर्थ्य रखती थीं। चूड़्वेदल्ल संयुक्त[10] में वर्णित धन्मदिन्ना की कथा इसी बात को स्पष्ट करती है। इसमें धम्मादिन्ना अपने पूर्व पति विशाख (स्वयं बौद्ध धर्मानुयायी था) द्वारा पूछे गए प्रश्नों (सिद्धान्त और व्यवहार) का उत्तर देती है। कथा के अनुसार बाद में विशाख इन उतरों से बुद्ध को परिचित कराता है। बुद्ध इन उत्तरों से काफी प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वे भी धम्मदिन्ना की ही तरह उत्तर देते।'' यह प्रसंग भी इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभिक बौद्ध

युग में महिलाओं का बौद्ध धर्म में काफी स्थान था और ये साधिकाओं और शिक्षिकाओं के रूप में प्रतिष्ठित थीं। इस सन्दर्भ में एक अन्य दृष्टांत का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। जब राजा उदयन (उदेन) की 500 पत्नियाँ अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई (इसमें प्रसिद्ध रानी सामावती भी थी) तो इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बुद्ध ने कहा था–भिक्षुओं, इनमें से कुछ महिला अनुयायी प्रवाह विजेता थीं, कुछ एक बार लौटनेवाली और कुछ कभी भी न लौटनेवाली हैं।[11] बुद्ध के इस कथन की जब हम व्याख्या करते हैं तो यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि वे यह मानते थे कि महिलायें मुक्ति मार्ग के विभिन्न चरणों को प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं, जिसके माध्यम से अर्हत का पद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध धर्म (बुद्ध) के अनुसार जाति की तरह लिंग भी व्यक्ति के मुक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बन सकता है। अतः बौद्ध धर्म के अनुसार महिलायें भी पुरुषों की तरह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इस बात का समर्थन करते हुए हार्न (I-B- HORNE) ने लिखा है कि 'बुद्ध ने महिलाओं में पुरूष की तरह ही अच्छाई और आध्यात्मिक की अंतः शक्ति को देखा था।'

वास्तव में, बौद्ध धर्म ने महिला मुक्ति और महिला समानता के आदर्श को समाज के सामने रखा। बौद्ध धर्म में जिस बिहार व्यवस्था की स्थापना की गई वह भी महिला–पुरुष समानता का आदर्श प्रस्तुत करता था। प्रायः महिलाओं के लिए उनका बिहार जीवन पुरुषों के लिए उपलब्ध आत्मनिर्णय और प्रतिष्ठा के लगभग बराबर था। भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षु संघ की स्थापना के पाँच वर्ष बाद की गई। इस संघ की स्थापना के प्रारंभिक चरणों में भिक्षुणिओं ने बौद्ध भिक्षुओं से ही अनुशासनिक कार्यों के विभिन्न रूपों के साथ–साथ ज्ञान के विभिन्न पक्षों को सीखा था।[12]

जब भी बुद्ध को अवसर प्राप्त होता था, वे महिलाओं के अधिकारों और समानता के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते रहते थे। उन्होंने एक अक्सर पर पसेनदि को जो शब्द कहे थे उससे भी महिला समानता के संबंध में उनके विचार स्पष्ट हो जाते हैं। पसेनदि यह समाचार सुनकर अत्यन्त दुःखी हुआ था कि उसकी पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया है। उसने अपने मन की बात बुद्ध को बतायी। इस पर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा था–''पुत्री, ज्ञानी और गुणी बनकर पुत्र से भी अच्छी संतान सिद्ध हो सकती है।'' यह ज्ञात हो जाने पर कि महिलायें धार्मिक जीवन अपनाने की पूरी क्षमता रखती है, आरम्भिक बौद्ध धर्म ने उन्हें पूर्णतया समानता का दर्जा प्रदान किया था। बौद्ध धर्म में इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि यद्यपि महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में षामिल किया गया पर साथ ही साथ 8 प्रतिबंध भी आरोपित किये गये। यहाँ इस बात का भी उदाहरण मिलता है कि बादत में बुद्ध को प्रिय षिश्य आनंद के पास जाकर बुद्ध के प्रवरता से सम्बद्ध प्रथम गुरू धर्म पर ढ़ील देने के लिए पूछते हुए दिखाया गया है।[13] ऐसा प्रतीत होता है कि मिक्षुणियों ने अपने आपकों आलोच्य अवधि में सफलतापूर्वक व्यवस्थित कर रखा था। महाप्रजापति गौतमी के बारे में कहा जाता है कि वे महिलाओं का नेतृत्व करती हैं जो बौद्ध के भिक्षुओं के समानान्तर चलती हैं।[14] यहाँ यह प्रसंग उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में बुद्ध द्वारा प्रजापति गौतमी पर कई प्रतिबन्ध लगाये गये थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तथा

Journal Global Values, Vol. XV, No. Special Issue 2024, ISSN: (P) 0976-9447, (e) 2454-8391, Impact Factor 8.888(SJIF)
https://doi.org/10.31995/jgv.2024.v15iS1.012

उनकी शिष्याओं ने केश कटाये, कसाय अर्थात् गेरुआ वस्त्र पहने तथा वे बुद्ध के धर्म, और संघ का अनुसरण करती हुई दिखाई गई हैं। यहाँ महिलाओं के विद्रोही स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। जब आरम्भ में बुद्ध द्वारा उनकी माँग अस्वीकार कर दी जाती है, तब वे अपनी सखियों के पास आती है और आपस में विचार विमर्श करती हैं। इसके बाद वे कहती है यदि बुद्ध ने आज्ञा दी हो तो हम धर्म मार्ग पर चलेंगी और यदि न दी तब भी हम यही करेंगी।[15]

उपर्युक्त वक्तव्यों और प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्ध स्त्री–पुरुष समानता के प्रबल समर्थकों में से एक थे। लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति पहले की तरह सम्मानपूर्ण भावना नहीं दिखाई देती है। महापरिनिर्वाणोत्तर काल के बौद्ध ग्रन्थों में महिलाओं को अपूर्ण, दुष्ट, नीच, कपटी, विश्वासपाती, अविश्वासी, चरित्रहीन, कामुक, ईष्यालु, लालची, बेलगाम, मूर्ख और फिजूलखर्चीली जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया।[16] इसी प्रकार बौद्ध संघ में महिलाओं की उपस्थिति को भारी त्रासदी के रूप में चित्रित किया गया है।[17] और इनकी तुलना डकैतों द्वारा लूटे गये पर, फफूंद (सेतद्धिक) से ग्रस्त धान की फसल तथा लाल रोग (मांजेष्ठिका) से संक्रमित गन्ने की फसल से की गई।[18] तापसिक नारी द्वेश, जो पालि ग्रन्थ त्रिपिटक के अंतिम तह में पाया जाता है, का भी स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण और नकारात्मक था।[19]

उसे मानव जाति के पतन तथा आध्यात्मिक प्राणी की मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माना गया।[20] आलोच्य अवधि में महिलाओं की तुलना 5 प्रकार से की गई है गुस्सैल चिड़चिड़ी, द्विशाखित जुबानबाली (बोलने वाली), इतनी विषैली कि मार डाले तथा मित्रघातक।[21] जातक ग्रन्थों में भी महिलाओं के प्रति अत्यन्त अपमानजनक बातें कहीं गई हैं। इनमें कहा गया है कि औरतें सन्यासियों को उनके लक्ष्य से पथभ्रष्ट कर देती है।[22] चुल्ल–पदुम जातक में बोधिसत्व के माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार उसने अपनी प्यासी पत्नी का प्यास बुझाने के लिए अपने घुटने से रक्त (खून) निकालकर दिया और बदले में उसने उसकी हत्या करने की कोशिश की और वह एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ रहने लगी।[23] इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर बोधिसत्व कहते हैं–भिक्षुओं। जब मैं जानवर के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था, तब भी मैं नारी जाति की अकृतज्ञता, छल, दुष्टता और लंपटत्ता के विषय में अच्छी तरह जानता था, और उस समय उनके नीचे रहने के बजाये मैंने उन्हें अपने नियंत्रण में रखा था।[24] एक अन्य जातक ग्रन्थ में यह कहा गया है बोधिसत्व अपने पिता से कहते हैं–यदि औरतें इस घर में आती हैं तो मन की शांति न मुझे मिलेगी और न आपको।[25]

अब यह प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि बुद्ध द्वारा उपदेशित धर्म जिसका आधार लैंगिक समानता था, में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद महिलाओं के प्रति इतनी दुर्भावना क्यों प्रदर्शित की जाने लगी। ऐसा देखा जा सकता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) का प्रभाव बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म में तपस्वीकरण, ब्राह्मणीकरण, मंत्रीकरण और मूर्तिपूजा जैसी बातों को अपनाया जाना इसी बात को सिद्ध करता है। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने का है कि प्राचीन भारतीय समाज पुरुष प्रधान था। (यद्यपि प्रारंभिक वैदिक ग्रन्थों में महिलाओं

को पुरुषों के समान माना गया था, उनकी प्रशंसा की गई थी, पर कालान्तर में उनकी स्थिति, दयनीय हो गई। जिन लोगों ने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, वे प्रारम्भ में ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी पुरुषवादी सोच को पूरी तरह नहीं छोड़ पाये थे। जब तक बुद्ध जीवित रहे, उनके व्यक्तित्व के सामने ये लोग चुप रहे और अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सके। लेकिन बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व के अभाव में, आक्रामक पुरुष प्रधान प्राचीन भारतीय समाज के प्रभाव से वे अपने को नहीं बचा सके। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में कार्यरत पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को सामान्य तथा महिलाओं को इसका अपवाद माना गया था। इस व्यवस्था ने पुरुषों को समाज द्वारा मूल्यवान मानी जाने वाली सभी स्थितियों को धारण करने हेतु वैध स्वामी माना, जबकि महिलाओं को पुरुषों द्वारा अपनी स्थिति कायम रखने हेतु मौन सहमति देने वाली सहायिका के रूप में देखा। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पुरूषों को महिलाओं पर नियंत्रण की शक्ति, प्राप्त थी। साथ ही साथ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों पर पुरुषों का एकाधिकार **FkkA**[26] जब बौद्ध धर्म पर इन बातों का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ तो महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण भी परिवर्तित होने लगा। यही कारण था कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित हो गया जिस पर एक बड़े शक्तिशाली पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रभुत्व था। इसी तरह की मानसिकता वाले लोगों द्वारा कालान्तर में बौद्ध साहित्य का सम्पादन और संशोधन किया गया और उन्होंने महिलाओं को अपूर्ण, दुष्ट नीच, कपटनी, अविश्वासी, कामुक जैसी उपाधियों से विभूषित किया।[27] इसी दृष्टिकोण के कारण धीरे–धीरे महिलाओं को हीन समझा जाने लगा।

महिलाओं की स्थिति के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करते समय यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि प्राचीन भारतीय बौद्ध साहित्य में पाये जाने वाले महिला विरोधी वक्तव्य और कथन बौद्ध बिहार के विशिष्ट वर्ग उन सदस्यों द्वारा जोड़ा गया क्षेपक हो सकता है जिनके महिलाओं के प्रति रूख को विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आकार प्रदान किया।[28] ऐसा भी प्रतीत होता है कि त्रिपिटक का बहुत बड़ा भाग तृतीय बौद्ध संगति के बाद संकलित किया गया।[29] त्रिपिटक में बार–बार होने वाले संशोधनों के कारण भी महिलाओं के संबंध में व्यक्त किए जाने वाले विचारों में विविधता मिलती है। भिक्षुणी संघ की स्थापना तथा बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में परस्पर विरोधी मत एक ही ग्रन्य में देखे जा सकते हैं। इसमें गौतम बुद्ध यह स्वीकार करते हैं कि महिलायें निर्वाण के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि दुर्भाग्यवश भिक्षुणी संघ की स्थापना दीक्षा प्राप्त करने की आज्ञा न दी जाती तो बौद्ध धर्म एक हजार वर्ष तक जीवित रहता, लेकिन अब क्योंकि महिलाओं ने दीक्षा प्राप्त कर ली है, बौद्ध धर्म जीवन अधिक समय तक नहीं चलेगा केवल 500 वर्श''[30] इस आधार पर यह कहना ज्यादा युक्ति संगत होगा कि बुद्ध, जिनके दृष्टिकोण का आधार ही सामाजिक समानता थी, वे ऐसे विचार क्यों व्यक्त करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस प्रंसग को एक क्षेपक के रूप में जोड़ा गया। बौद्ध ग्रन्यों में

बार–बार विचारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे ठीक ढंग से समझने के लिए हमें उस विशेष सांस्थानिक या बौद्धिक संदर्भ की पहचान कर लेनी चाहिए जिसमें से इस प्रकार के प्रत्येक विचार का उद्‌भव हुआ है। कैट ब्लैकस्टन ने लिखा है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रति द्वेशभाव इस तथ्य की उपज था कि महिलाओं की दीक्षा को धर्म और विनय के लिए एक गम्भीर और अपरिहार्य खतरे के रूप में देखा गया।[31] डायना पौल ने बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित स्त्रियों के द्वेशभाव को उस भारतीय सन्दर्भ में देखा है जिसमें उसका विकास हुआ था।[32] जैनिस विल्लिस ने लिखा है कि आज हम पालि ग्रन्थों में तथ्यों से महायान ग्रन्थों में वर्णित तथ्यों पर ध्यान देते हैं तो यह पाते हैं कि इनमें महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।[33]

ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में (महापरिनिर्वाणोत्तर काल के) बौद्ध भिक्षुओं ने यह अनुभव किया हो कि पुरूष प्रधान प्राचीन भारतीय समाज में उनकी शिष्यायें निरन्तर प्रताड़ित या अपमानित की जायेगी या वे पुरुष हिंसा का शिकार बनने लगेंगी। यह भी एक कारण रहा होगा कि बौद्ध संघ में स्त्रियों या भिक्षुणियों पर कई प्रतिबन्ध लगाये गए थे। उस समय बौद्ध बिहार मानव बस्तियों के बाहर बनाये जाते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध भिक्षुणियों को यौन प्रताड़ना की सम्भावना बनी रहती होगी। एक दृष्टांत के द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। एक बार कई भिक्षुणियों कौशल प्रदेश से श्रावस्ती जा रही थीं। एक भिक्षुणी मल–मूत्र त्यागना चाहती थी, अतः वह अकेले ही पीछे ठहर गई। उस भिक्षुणी को अकेले देखकर लोगों ने उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित कर लिया।[34] इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि उस समय भिक्षुणियों को तरह–तरह से तिरस्कृत किया जाता था। भिक्षुणियों द्वारा छोटी सी गलती हो जाने पर भी लोग उन्हें सिर मुंडी वेश्याएँ कहकर तिरस्कृत करते थे।[35] जबकि भिक्षुओं द्वारा गलती किये जाने के बावजूद उनके लिये इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। यही कारण या कि भिक्षुओं की अपेक्षा भिक्षुणियों के लिये ज्यादा कड़े नियमों का निर्माण किया गया। यही कारण था कि बौद्ध संघ जैसे–जैसे विकसित होता गया उसने अपने चरित्र को बाहरी समाज के अनुसार बदलना शुरू कर दिया। इस नये हो रहे परिवर्तन का अर्थ यह था कि महिलायें धर्म को पूर्णकालिक विषय के रूप में तो स्वीकार कर सकती है। लेकिन यह कार्य एक ऐसे नियंत्रित संस्थागत ढांचे के भीतर होगा जो पुरुष प्रधानता और महिला अधीनीकरण को पारम्परिक रूप से स्वीकृत सामाजिक मानकों द्वारा सुरक्षित और सशक्त बनाता हो।

ऐसा माना जा सकता है कि प्रथम भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी तथा उन पर लगाए गए 8 प्रतिबन्ध भी काल्पनिक ही हैं। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि महाप्रजापति गौतमी ने अपने पति की मृत्यु के बाद प्रवज्या प्राप्त की थीं, उस समय तक अनेक महिलायें बुद्ध उपसम्पदा प्राप्त कर चुकी थी। आई० बी० हार्नर का भी यह मानना है कि बुद्ध द्वारा 500 वर्ष बाद बौद्ध धर्म के पतन की भविष्यवाणी करना बाद के भिक्षुओं द्वारा कल्पित कहानी ही मानी जा सकती है।[36]

कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि बुद्ध ने अपनी पत्नी का परित्याग किया था। यह परित्याग उनके स्त्री विरोधी दृष्टिकोण को ही प्रदर्षित करता है। लेकिन बुद्ध की इस तरह

आलोचना करना ठीक नहीं है क्योकि जब उन्होंने प्रारम्भ में ब्राहाणवाद की परम्पराओं का अनुसरण करते हुए सांसारिक जीवन का परित्याग किया था। इस अवधि में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तीन चीजों का परित्याग करना अनिवार्य माना जाता था। ये वस्तुएँ थीं– /ku] L=h v kS çfr 'BkA[37] अतः इस आधार पर बुद्ध को स्त्री विरोधी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार बुद्ध के दृष्टिकोण और उनके कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने स्त्रियों को पुरुशों के समकक्ष माना था। उनके बाद के बौद्ध ग्रन्थों में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, वे पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। व्यवहार में हम यह पाते हैं एक ही ग्रन्थ में (जैसे त्रिपिटक) में एक स्थान पर स्त्रियों की आलेचना की गई है, उसी ग्रन्थ में अन्य जगह स्त्रियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव पड़ने लगा था और उन्होंने बहुत सी ब्राह्मणवादी धर्म की विशेषताओं (बातों) को अपना लिया। कालान्तर में बौद्ध भिक्षुणियों पर जो प्रतिबन्ध लगाये प्रतिबंधों को उस प्राचीन भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जिसमें उनका विकास हुआ।[38]

अशोक की पुत्री संघमित्रा के दृष्टांत के आधार पर यह कहना भी युक्तिसंगत होगा कि महापरिनिर्वाणोत्तर काल में भी भिक्षुणियों को पर्याप्त महल प्राप्त था। संघमित्रा, महान मौर्य शासक अशोक की पुत्री थी। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा गया था। यह इस बात का संकेत है कि एक महिला बौद्ध प्रदानुक्रम में अपने स्थान बना सकती है और इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि कम से कम अशोक के शासनकाल तक बौद्ध सिद्धान्त में ऐसा कुछ भी नहीं था जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर माने जाने पर प्रतिबन्ध लगा पाता।[39] पुनः बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा थेरीगाथा जैसी अद्वितीय ग्रन्थ की रचना किया जाना भी इसी बात को सिद्ध करता है कि बौद्ध भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म में पर्याप्त समानता और स्वतंत्रता का वातावरण प्रदान किया गया था।[40] थेरीगाथा, बौद्ध गीत संग्रह है जिसकी रचना लगभग सौ बौद्ध भिक्षुणियों ने मिलकर की थी। बौद्ध ग्रन्थ त्रिपिटक जो पालि भाषा में है, कई स्थानों पर महिलाओं की प्रशंसा की गई है (जैसा कि खेमा के बारे में कहा गया है कि जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तब तक वह धर्म के पूर्ण ज्ञान के साथ अर्हत्व प्राप्त कर चुकी थी। स्वयं बुद्ध ने उसे उच्च स्थान प्रदान किया था।[41] किसी गौतमी ने भी बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को समझने के बाद अर्हत्व प्राप्त किया।[42] आनन्द के उपदेश को सुनकर भिक्षुणी समा ने अर्हत् का पद प्राप्त किया था। भिक्षुणी मुक्ता के बारे में कहा गया कि उसने पुनर्जन्म और मृत्यु से भी मुक्ति प्राप्त कर ली थी।[43] ये सभी दृष्टांत यह सिद्ध करते हैं कि युद्ध ने महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष मानते हुए उन्हें स्वयं ही दीक्षित किया था।

बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति के संबंध में कुछ निष्कर्ष बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के आधार पर भी निकाले जा सकते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों में अहिंसा, करूणा, श्रद्धा, दूसरों के प्रति व्यवहार में समानता और उचित व्यवहार जैसी बातें प्रमुख थीं। स्वयं बुद्ध ने कहा था 'कोई किसी को धोखा न दें', किसी स्थान में किसी से घृणा न करें तथा क्रोध या प्रतिकारवश किसी को क्षति पहुँचाने की इच्छा न करें। समस्त प्राणी प्रसन्न, सुखी, सुरक्षित और प्रसन्नचित

हो।[44] इस दृष्टांत के आधार पर यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि जिस धर्म का आधार ही मानवीयता और करूणा हो, वहाँ स्त्रियों को हीन दृश्टि से कैसे देखा जा सकता है।

निष्कर्ष

के रूप में यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष माना गया था। यद्यपि बाद के बौद्ध ग्रन्थों में स्त्रियों के प्रति दुर्भावना को व्यक्त किया गया है। संभवतः इसका कारण बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव और बुद्ध जैसे आकर्षक और महान व्यक्तित्व का अभाव रहा होगा।

सन्दर्भः

1. ऐतरेय ब्राहम्ण, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणासी 1998।
2. मैत्रायणी संहिता, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणासी 1998।
3. जातक ग्रंथों में वर्णित है। द जातका, एडिकेट बाई वी. फॉसबॉल IInd Vol. पृ0–406।
4. वही, पृ0–95 Vth Vols., पृ0–268।
5. वहीं।
6. विनय पिटक का प्रथम नियम (विनयपिटक, चुललवग्ग10/1)
7. विनय पिटक का आँठवा नियम।
8. विनय पिटक (चुललवग्ग 10/1)
9. वही।
10. मज्जिम निकाय।
11. थेरीगाया (बौद्ध गीतों का संग्रह) में वर्णित है। 'द थेरीगाथा' एडी० बाई० के० आर० नार्मन एण्ड एल आल्सड्रॉफ, लन्दन, पृ0–61, 1966।
12. डायना पॉल, वूमेन इन बुद्धिज्म : 'इमेजेज ऑफ द फेमिनिन इन महायान ट्रेडिषन', बर्कले यूनिवर्सिटी प्रेस 1979 पृ0, 245, 304।
13. विनय पिटक का आँठवा नियम।
14. जोनाथन वाल्टर्स, 'ए वायस फ्रॉम द साइलेंस : द बुद्धाज मदर्स स्टोरी, हिस्ट्री ऑफ रेलिजन्स', 33/4, 1994, पृ0–358, 379।
15. एडिट नोलोट, रेगलेस दे डिसिपलिन डेस ननस बुद्धिस्टः ले भिक्खुनियाँ डेल इकोल महासंधिका–लोकोत्तरवादीन, पेरिस कॉलेज डे फ्रांस, 1961।
16. जातक ग्रंथों में वर्णित। द जातका, एडिटेड बाई वी. फॉसबॉल IInd Vol., पृ0–744, 478।
17. विनय पिटक (चुललवग्ग 1/11)।
18. वहीं।
19. वहीं।
20. अगत्रुत्र सुत्तं में उल्लिखित।
21. द अंगुत्ता निकाय, एडि0, आर0 मौरिस एण्ड ई0 हार्डी, Vth Vol., लन्दन, 1885–1900। ट्रांसलेटेड रेफरेंस आर फ्रॉम द बुक ऑफ ग्रेडुअल सेइंग्स, – एफ0एल0 वुडवार्ड, Vol. I, II, IV

22. जातक ग्रंथों में वर्णित है। द जातका, एडिटेड बाई वी, फॉसबॉल Ist Vol., पृ0–27, 1st 4th Vol., पृ0–468।
23. चुल्ल पदुम जातक ग्रंथ में वर्णित है। द जातका, एडिटेड बाई. वी. फॉसबॉल, 1st Vol., पृ0–115–121।
24. वही, पृ0–419।
25. वही, पृ0–43।
26. गरड लर्नर, 'द क्रियेषन ऑफ पैट्रियारची', न्यूयार्क, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1986।
27. द जातका, एडिटेड बाई वी. फॉसबॉल IInd Vol., पृ0–474, 478, 527।
28. ए स्पॉनबर्ग, ''एटिट्यूडस टुवार्ड वूमैन एण्ड द फेमिनिन इन अर्ली बुद्धिज्म'' पृ0–125।
29. चन्द्राधर षर्मा, 'ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलास्पी', नई दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, 1983, पृ0–30।
30. अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित है। एडि बाई आर0 मौरिस एण्ड ई० हार्डी, वहीं, पृ0–278।
31. ''डैमिंग द धम्मा' : प्राब्लेम्स विथ भिक्खुनिज इन द पाली विनया'' इस षोधपत्र को केट ब्लैक्स्टौन ने 12वें अंतराष्ट्रीय बुद्धिस्ट स्टहीज कॉफ्रेंस में प्रस्तुत किया था। इसका आयोजन 1999 में स्वीट्रजलैंड के शहर ल्यूसेन में किया गया था।
32. डायना पौल, पूर्वोक्त, 50–245, 304।
33. जैनिस विल्लिस ''नन्स एण्ड बेने फैक्ट्रेसेसः द रोल ऑक वूमैन इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म''।
34. ''द सैकरेड बुक ऑफ इ ईस्ट'' 50 Vol. बाई एफ० मैक्समूलर, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, Vol.-XII., पृ0–189।
35. विनय पिटक में उल्लेख मिलता है।
36. आई0बी0हार्नर, ''अर्ली बुद्धिज्म एण्ड टॉकिंग ऑफ लाईफ'' पृ0–105
37. डायना पॉल, पूर्वोक्त, पृ0–145
38. वहीं, पृ0–245।
39 टैसा बाथौलाम्युज 'द फिमेल मेनडिकेन्ट इन बुद्धिस्ट श्रीलंका।
40. रीटा एम ग्रास ''बुद्धिज्म आटर पैट्रियाराची'' पृ0–118।
41. थेरीगाथा, पूर्वोक्त, पृ0–61, 1966
42. वही, पृ0–89।
43. वही, पृ0–11।
44. मेत्ता सूत्र, पृ0–140, 144, 146।